

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 837 / 10

संस्थित दि.: 01 / 11 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

मनोज पिता नीलकंठ मेश्राम, उम्र 29 साल, जाति महार,
निवासी ग्राम लोटमारा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 16 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 304ए को आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 17.09.2010 को करीब 05:00 बजे ग्राम मोहगांव लालघाटी लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं देवेन्द्र, टिल्लू, मनोज को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा रूपचंद्र की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2010 को फरियादी देवेन्द्र ने देहाती नालिसी में बताया कि वह रूपचन्द्र, टिल्लू टी.व्ही.एस मोटरसायकिल क्रमांक एम.एच.31/डी.बी.4869 से लोटमारा जा रहे थे मोटरसायकिल रूपचन्द्र चला रहा था शाम 05:00 बजे मोहगांव के आगे लालघाटी लोकमार्ग पर मनोज उकवा तरफ से पल्सर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी. 8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गये गिरने से उसे दाहिने पैर, घुठने, हाथ में चोट आई टिल्लू के भी दाहिने पैर में चोट आई और रूपचन्द्र को गम्भीर चोट लगने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरियादी देवेन्द्र एवं टिल्लू के कथन एवं जांच में पाया कि आरोपी मनोज ने दिनांक 17.09.2010 को मोटरसायकिल पल्सर क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर देवेन्द्र एवं टिल्लू रूपचन्द्र की मोटरसायकिल में टक्कर मारकर उपहति कारित की। जांच के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82/2010

अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर ईलाज के दौरान रूपचन्द्र की मृत्यु हो जाने से भा.दं.वि. की धारा 304ए की वृद्धि कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 304ए का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 304ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 17.09.2010 को करीब 05:00 बजे ग्राम मोहगांव लालघाटी लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50, एम.सी.8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.सी. 8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर देवेन्द्र, टिल्लू मनोज को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.सी. 8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रूपचन्द्र को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

- :: सकारण निष्कर्ष :: -विचारणीय बिन्दु कमांक 'अ', 'ब' एवं 'स':-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'ब' एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.01) का कहना है कि घटना 17 सितम्बर 2010 की है वह रूपचन्द्र की मोटरसायकिल पर टिल्लू के साथ बैठकर मलाजखण्ड से लोटामारा जा रहा था मोटरसायकिल रूपचन्द्र चला रहा था। लालघाटी मोड़ पर मनोज ने उसकी मोटरसायकिल से टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गये। रूपचन्द्र को ईलाज लिये ले जाते समय मृत्यु हो गई थी और उसे और टिल्लू को चोट आयी थी और दो-तीन जगह से पैर फ्रेक्चर हो गया था। घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में की थी जो प्रदर्श पी-01 हैं पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था। घटना आरोपी की गलती से हुई थी आरोपी ने उनकी मोटरसायकिल से आगे निकलने के लिये ओवरटेक किया, जिससे घटना हुई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पल्सर मोटरसायकिल जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसे पुलिस ने जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता आरोपी का नाम इसलिये बता रहा है कि वाहन आरोपी का था। दोनों मोटरसायकिल धीमी गति से चल रही थी। घटनास्थल पर मोड़ होने की वजय से घटना घटित हुई थी। उसने पुलिस वाले के कहने पर थाने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे दुर्घटना कैसे घटित हुई उसे कोई जानकारी नहीं है।

(08) अभियोजन साक्षी टिल्लू (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी शाम के 04:00 बजे की है। वह रूपचन्द्र के साथ टी.व्ही.एस. मोटरसायकिल पर बैठकर मलाजखण्ड से लोटमारा आ रहे थे। पल्सर मोटरसायकिल से टकरा गये थे, जिससे उसे चोट आयी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने आरोपी ने पल्सर गाड़ी को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारी इस बात से इंकार किया और प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि घटना के समय पल्सर गाड़ी कौन चला रहा था उसे मालूम नहीं।

(09) अभियोजन साक्षी प्रिमांगचंद (अ.सा.04) का कहना है कि घटना वर्ष 2010

की है उसके भाई रूपचन्द्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, किसकी मोटरसायकिल से एक्सीडेंट हुआ उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(10) अभियोजन साक्षी लक्ष्मीप्रसाद पटले (अ.सा.08) का कहना है कि उसने दिनांक 17.09.2010 को थाना मलाजखण्ड देहाती नालसी 0/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. प्रार्थी देवेन्द्र की सूचना पर आरोपी मनोज मेश्राम पल्सर गाड़ी क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 के चालक के विरुद्ध देहाती नालिसी दर्ज की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। अपराध क्रमांक 82/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.वि. प्रार्थी देवेन्द्र की सूचना पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। दिनांक 18.09.2010 को घटनास्थल से साक्षी देवेन्द्र और मुकेश के समक्ष एक काले रंग की पल्सर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 बनाया था। नीलकण्ड से डी.एच.जी.बी.एस.के.96117 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-07 बनाया था। आरोपी मनोज के उपचार के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-09 बनाया था।

(11) अभियोजन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.05) का भी कहना है कि उसने दिनांक 17.09.2010 को देहाती नालसी 0/10 के आधार पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 82/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. का अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-05 है।

(12) अभियोजन साक्षी मुकेश (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटनास्थल से उसके सामने पुलिस ने मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था।

(13) अभियोजन साक्षी डॉ.बी.पी.गुप्ता (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 17.09.2010 को आहत मनोज को अस्पताल में एक्सीडेंट होने से उपचार हेतु भर्ती कराया था जिसकी सूचना उसने मलाजखण्ड थाने पर दी, जो प्रदर्श पी-04 है। आहत को घुटने में चोट आयी थी। अभियोजन साक्षी डॉ.प्रकाश चौहान (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 18.09.2010 को आहत मनोज का रक्त परीक्षण किया था।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी कार्यवाही की है। आरोपी ने दिनांक 17.09.2010 को करीब 05:00 बजे ग्राम मोहगांव लालघाटी लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं देवेन्द्र, टिल्लू, मनोज को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा रूपचंद्र की मृत्यु कारित की ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। अभियोजन अपना प्रकरण युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णता: असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.01) का कहना है कि घटना 17 सितम्बर 2010 की है वह रूपचन्द्र की मोटरसायकिल पर टिल्लू के साथ बैठकर मलाजखण्ड से लोटामारा जा रहा था मोटरसायकिल रूपचन्द्र चला रहा था। लालघाटी मोड़ पर मनोज ने उसकी मोटरसायकिल से टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गये। रूपचन्द्र को ईलाज लिये ले जाते समय मृत्यु हो गई थी और उसे और टिल्लू को चोट आयी थी और दो-तीन जगह से पैर फ्रेक्चर हो गया था। घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में की थी जो प्रदर्श पी-01 हैं पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था। घटना आरोपी की गलती से हुई थी आरोपी ने उनकी मोटरसायकिल से आगे निकलने के लिये ओवरटेक किया, जिससे घटना हुई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पल्सर मोटरसायकिल जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसे पुलिस ने जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता आरोपी का नाम इसलिये बता रहा है कि वाहन आरोपी का है दोनों मोटरसायकिल धीमी गति से चल रही थी। घटनास्थल पर मोड़ होने की वजह से घटना घटित हुई थी। उसने पुलिस वाले के कहने पर थाने पर कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे दुर्घटना कैसे घटित हुई उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से साक्षी के कथन विश्वासनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि आरोपी ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर घटना कारित की।

(17) अभियोजन साक्षी टिल्लू (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके

कथन के दो वर्ष पुरानी शाम के 04:00 बजे की है। वह रूपचन्द्र के साथ टी.व्ही.एस. मोटरसायकिल पर बैठकर मलाजखण्ड से लोटमारा आ रहे थे। पल्सर मोटरसायकिल से टकरा गये थे, जिससे उसे चोट आयी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने आरोपी ने पल्सर गाड़ी को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारी इस बात से इंकार किया और प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि घटना के समय पल्सर गाड़ी कौन चला रहा था उसे मालूम नहीं। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से साक्षी के कथन विश्वासनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

(18) अभियोजन साक्षी प्रिमांगचंद (अ.सा.04) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है उसके भाई रूपचन्द्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसकी मोटरसायकिल से एक्सीडेंट हुआ उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(19) अभियोजन साक्षी लक्ष्मीप्रसाद पटले (अ.सा.08) का कहना है कि उसने दिनांक 17.09.2010 को थाना मलाजखण्ड देहाती नालसी 0/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. प्रार्थी देवेन्द्र की सूचना पर आरोपी मनोज मेश्राम पल्सर गाड़ी क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 के चालक के विरुद्ध देहाती नालिसी दर्ज की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। अपराध क्रमांक 82/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.वि. प्रार्थी देवेन्द्र की सूचना पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। दिनांक 18.09.2010 को घटनास्थल से साक्षी देवेन्द्र और मुकेश के समक्ष एक काले रंग की पल्सर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 बनाया था। नीलकण्ड से डी.एच.जी.बी.एस.के.96117 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-07 बनाया था। आरोपी मनोज के उपचार के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-09 बनाया था।

(20) अभियोजन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.05) का भी कहना है कि उसने दिनांक 17.09.2010 को देहाती नालसी 0/10 के आधार पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 82/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. का अपराध आरोपी

के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-05 है।

(21) अभियोजन साक्षी मुकेश (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटनास्थल से उसके सामने पुलिस ने मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था।

(22) अभियोजन साक्षी डॉ.बी.पी.गुप्ता (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 17.09.2010 को आहत मनोज को अस्पताल में एक्सीडेंट होने से उपचार हेतु भर्ती कराया था जिसकी सूचना उसने मलाजखण्ड थाने पर दी, जो प्रदर्श पी-04 है। आहत को घुठने में चोट आयी थी। अभियोजन साक्षी डॉ.प्रकाश चौहान (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 18.09.2010 को आहत मनोज का रक्त परीक्षण किया था।

(23) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी मनोज मेश्राम ने 17.09.2010 को करीब 05:00 बजे ग्राम मोहगांव लालघाटी लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं देवेन्द्र, टिल्लू, मनोज को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा रूपचंद्र की मृत्यु कारित की। ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है।

(24) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी मनोज मेश्राम ने दिनांक 17.09.2010 को करीब 05:00 बजे ग्राम मोहगांव लालघाटी लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं देवेन्द्र, टिल्लू, मनोज को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा रूपचंद्र की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(25) परिणाम स्वरूप आरोपी मनोज मेश्राम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 304ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(26) प्रकरण में आरोपी मनोज मेश्राम पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(27) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पल्सर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.8997 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि

पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)